Title : President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 04-06-2009.(Laid)

12.38 hrs.

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table a copy of the President's Address* to both the Houses of Parliament assembled together on the 4th June, 2009.

** माननीय सदस्यगण

पंद्रहवी लोक सभा के चुनावों के बाद संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं, लोक सभा के सभी सदस्यों, खासतौर पर नवनिर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ हैं व्Ã•Dयोंकि आपने पिछले कुछ महीने भीषण गर्मी में अपने मतदाताओं को यह समझाने में बिताए हैं कि आप किस प्रकार बेहतर ढंग से उनकी अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। आज आपके पास जनादेश है, और भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी जिदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका है। भारत की सौ करोड़ से अधिक जनता, जो संपूर्ण मानवजाति का छठा हिस्सा है, उनकी आशाओं का प्रतिनिधित्व करने का यह सौभाग्य असल में कुछेक चुनिंदा लोगों को ही मिलता है।

मुझे विश्वास है कि जब आप अपना काम शुरू करेंगे तो उनकी चिंताओं और आशाओं को प्राथमिकता देंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप अगले पांच वर्षों में प्रत्येक दिन जनता की इन आकांक्षाओं को पूरा करने में बिताएंगे और ऐसा करते हुए अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना पाएंगे। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।

मैं लोकसभा के सदस्यों को सर्व सम्मति से चुनने के लिए बधाई देती हूँ और वह भी एक महिला, जो दलित है और गौरवमयी है। इससे भारतीय लोकतंत्र का, सदन का तथा उसके सदस्यों का खुद का सम्मान बढ़ा है।

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल राज्य में चक्रवात के कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। आइए, हम शोक संतप्त परिवारों के लिए अपनी हार्दिक संवेदनाएँ प्रकट करें। मेरी सरकार पश्चिम बंगाल की चक्रवात से पीड़ित जनता को हर संभव राहत मुहैया कराएगी।

---

32. Laid on the Table and also placed in Library, See No.LT-2/15/2009.

**Her Excellency Shrimati Pratibha Devisingh Patil, President of India delivered her Address in the Central Hall in Hindi, English text of the Address was read by His Excellency Shri Mohammad Hamid Ansari, Vice President of India.

मैं निर्वाचन आयोग को और उन लाखों कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने 15वीं लोक सभा के चुनावों को सुगमता और कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। भारतीय संसद के लिए चुनाव वस्तुत: विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और यह बृहत और महत्वपूर्ण कार्य अत्यंत सुचारू रूप से संपन्न किया गया। लोकतंत्र की संकल्पना, मानवजाति की श्रेष्ठतम विचारधाराओं में से एक है, और भारत में होने वाले प्रत्येक चुनाव में प्रतिनिधि चुनने की इस स्वतंत्रता को अमल में लाया जाता है जिससे यह संकल्पना और अधिक बलवती होती है। यह सर्वविदित है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का समूचे विश्व में विशिष्ट स्थान है। किसी सुदूर गाँव में जब कोई बुजुर्ग महिला गर्व से अपनी तर्जनी उठाकर उस पर अमिट स्याही का निशान दिखाती है, तो वस्तुत: वह दुनिया से यही कह रही होती है कि उसके पास अपने देश में परिवर्तन लाने की शक्ति है।

वर्ष 2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह इसी समावेशी नीति का ही परिणाम है। यह जनादेश समग्Ã¸ वृद्धि, समतापूर्ण विकास और पंथनिरपेक्ष तथा बहुलवर्गीय भारत के लिए है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेरी सरकार और अधिक परिश्रम से तथा बेहतर ढंग से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार की सतत प्राथमिकता समावेशन के लिए चल रहे प्रमुख कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की है। इस कार्य के लिए सरकार को पुन: ऊर्जावान बनाने और शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक विकास को पुन: उच्च विकास पथ पर लाने की चुनौती का मुकाबला करने की ज़रूरत होगी जो वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ा सके इसके लिए जल्द विकास आवश्यक है। सभी क्षेत्रों और सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और अवसंरचना में परिव्यय बढ़ाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराना ज़रूरी है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकास प्रक्रिया न केवल ख्वरित हो बल्कि उसे सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से अधिक समावेशी और समतापूर्ण बनाया जाए। जैसी कि मेरी सरकार ने 2004 में भी चर्चा की थी-आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेशिता के लिए हमारी जनता की तीव्रÃ¸ लालसा और विघटनकारी एवं असहिष्णु शक्तियों को नकारना, आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है और इस दिशा में सतत् प्रयास किए जाने हैं।

मेरी सरकार बढ़ती अपेक्षाओं की चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सजग है। अगले पाँच वर्षों में मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता वाले दस विस्तृत क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं:

- आंतरिक सुरक्षा और साप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना;
- कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ाना;
- रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य , ग्रÃ¸ामीण अवसंरचना, शहरी नवीकरण के लिए विद्यमान प्रमुख कार्यक्रमों का समेकन तथा खाद्य सुरक्षा और कौशल विकास के लिए नए प्रमुख कार्यक्रम शुरू करना;
- महिलाओं, युवाओं, बच्चों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, भिन्न रूप से सक्षम तथा बुजुर्गों के कल्याण के लिए संगठित कार्रवाई और सुदृढ़ीकृत सामाजिक सुरक्षा;
- शासन-व्यवस्था में सुधार;
- अवसंरचना का सृजन और आधुनिकीकरण तथा प्रमुख सैव्Ã•Dटरों में क्षमता-वर्धन;
- विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन;
- ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण;
- विश्व के साथ रचनात्मक और सृजनात्मक तालमेल; और
- उद्यम और नवाचार की संस्कृति का संवर्धन।

मेरी सरकार आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यंत सर्तकता बरतेगी। किसी भी स्रोत से उख्पन्न आतंकवाद को सिरे से नकारने की नीति अपनाई जाएगी। विद्रोह और वामपंथी उग्रÃ¸वाद से निपटने के लिए कठोर उपाय किए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली एक विस्तृत योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। आसूचना के कारगर आदान-प्रदान तथा कार्रवाई को सुनिचित करने के लिए बहु-एजेंसी केंद्र को मज़बूत बनाया जाएगा तथा सभी राज्यों में सहायक बहु-एजेंसी केंद्रों को सक्रिय किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है तथा आतंकवाद-संबंधी अपराधों से निपटने के लिए उसे सशक्त बनाया जाएगा। केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों तथा आसूचना एजेंसियों का विस्तार किया जाएगा और उन्हें सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी से पूरी तरह लैस किया जाएगा। प्रो-एव्Ã•िDटव आतंकवादरोधी उपाय करने के लिए एक राष्ट्रीय आतंकवादरोधी केंद्र की स्थापना की जाएगी। विशेष बल एवं ख्वरित कार्रवाई दल गठित किए जाएंगे और उन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। रियल टाइम आधार पर सूचना एवं आसूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने का काम एक नैट-सैन्ट्रिक सूचना कमान संरचना के गठन से संभव हो सकेगा।

मेरी सरकार पुलिस सुधार के लिए सक्रिय कार्रवाई करेगी तथा आंतरिक सुरक्षा में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिचित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, सरकार उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर एवं देश के अन्य भागों में हिंसा का परिख्याग करने वाले सभी समूहों को रचनात्मक कार्यों से जोडन्ा्ो का प्रयास करती रहेगी।

सांप्रदायिक सद्भावना को हर कीमत पर बनाए रखा जाएगा। मेरी सरकार को मिला जनादेश स्पष्ट है कि जनता इस देश के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से मेरी सरकार सांप्रदायिक हिंसा के निवारण के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक के शीघ्रÃ¸ अनुमोदन हेतु प्रयास करेगी।

हमारे सशस्त्र बल राष्ट्र के गौरव, बलिदान और पराक्रम के हमारे मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के प्रतीक हैं। भारतीय रक्षा बल राष्ट्र

की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के कार्य के प्रति कटिबद्ध हैं। भूमि, समुद्र और आकाश से होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा पूर्ण रूप से समर्थ बनाया जाएगा। युद्ध-कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक समय के युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। भूतपूर्व-सैनिकों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक रैंक एक पेंशन के मुद्दे की जाँच-पड़ताल करने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है और आशा है कि जून, 2009 के अंत तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।

प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट पहचान पत्र स्कीम लागू करने का कार्य एक अधिकार-प्राप्त समूह की निगरानी में तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इससे विकास कार्यक्रमों और सुरक्षा के लिए पहचान का प्रयोजन सिद्ध होगा।

मेरी सरकार विगत पाँच वर्षों में विकास की गति बढ़ाने में सफल रही है और इस दौरान इसका रिकॉर्ड औसत 8.5 प्रतिशत रहा। इससे उच्च गुणवत्तायुक्त नौकिरयों में खासी वृद्धि हुई तथा हमें ग्रÃ¸ामीण रोज़गार की गारंटी देने और सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने के लिए क्षमता भी प्राप्त हुई। मेरी सरकार ने कृषि को नई दिशा दी। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाया गया। पैंसठ हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के कृषि ऋण माफ किए गए तथा प्रापण कीमतों में काफी वृद्धि हुई। इन उपायों से कृषि विकास में नई शुरुआत हुई। मेरी सरकार बड़ी संख्या में नए स्कूलों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के ज़रिए शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, पंद्रह करोड़ से अधिक बच्चों के लिए एक मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाने, प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ एवं सोलह लाख से अधिक विद्यार्थियों को ऋण देने तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में निवेश की एक नई लहर उत्पन्न करने में सफल रही है। वह ग्रÃ¸ामीण जन स्वास्थ्य अवसंरचना का पुनरुद्धार करने और बीमा स्कीमों एवं पेंशनों के जरिए सामाजिक सुरक्षा को व्यापक स्तर पर बढ़ाने में सफल रही है। सरकार रक्षा कार्मिकों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को लागू करने में भी सफल रही है। मेरी सरकार ने विगत पाँच वर्षों में राज्यों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की। ये सभी कार्य इसीलिए संभव हो सके व्Ã•Dयोंकि उच्च विकास से अधिक संसाधनों का सृजन हो सका। इसलिए, यह आवश्यक है कि विकास की यह गति बनी रहे।

वैश्विक मंदी के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास की गति धीमी होने की संभावना है। मेरी सरकार ने इस अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए अनेकों उपाय किए हैं, जिनमें तीन प्रोत्साहन पैकेज शामिल हैं। इनके परिणाम दिखने लगे हैं। यह संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैसी मंदी से नहीं गुजरना पड़ा जैसा कि विश्व में लगभग अन्य सभी देशों के साथ हुआ है। मेरी सरकार अर्तराष्ट्रीय समुदाय के साथ, विशेष रूप से जी-20 के मंच के माध्यम से, सक्रिय सम्पर्क में रही है ताकि वैश्विक स्तर पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके तथा आवश्यक सुधार शीघ्रÃ¸ातिशीघ्रÃ¸ किए जा सकें। हमारी तात्कालिक प्राथमिकता अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर फोकस करने की होनी चाहिए जिससे सैव्Ã•Dटरीय तथा बृहत्-स्तरीय नीतियों के संयोजन के ज़रिए वैश्विक मंदी के प्रभाव का निस्तारण हो सके। मेरी सरकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित सैव्Ã•Dटरों, विशेषतया लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात, वस्त्र, वाणिज्यिक वाहन, अवसंरचना और आवास पर ध्यान केंद्रित करेगी। उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में सरकारी-निजी भागीदारी करके ढांचागत क्षेत्रों में सरकारी निवेश में प्रतिचक्रीय बढ़ोत्तरी के लिए उपाय किए जाने चाहिए। निवेश का वित्तपोषण करना एक बड़ी समस्या है तथा मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस क्षेत्र में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की मध्यावधिक कार्यनीति के अनुरूप नए कदम उठाए जाएं।

हाल के वर्षों में हमारे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश का लाभ मिला है। इस निवेश को, विशेष तौर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को एक समुचित नीतितंत्र के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। बैंकिग और बीमा सैव्Ã•Dटरों में संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत भी है ताकि वे समाज की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इस प्रयोजन से, मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उनका पुन: पूंजीकरण करेगी तथा पेंशन सैव्Ã•Dटर के लिए एक विनियामक स्थापित करने के लिए विधान भी लाएगी।

गत पाँच वर्षों के दौरान कृषि एवं सिंचाई में सार्वजनिक निवेश में आई गति को और बढ़ाया जाएगा तथा सरकार द्वारा शुरू किए गए तीन बड़े कार्यक्रमों-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सुदृढ़ किया जाएगा।

मेरी सरकार ने जो प्रमुख कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं उनके फलस्वरूप देश समग्रÃ¸ विकास की ओर अग्रÃ¸सर हुआ है। हमारा प्रयास अगले पाँच वर्षों में इन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का होगा। राष्ट्रीय ग्रÃ¸ामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी पूर्ति हुई है अर्थात यह सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में और ग्रÃ¸ामीण पुनर्संरचना के लिए विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम के तौर पर सिद्ध हुआ है। बदलाव लाने की इसकी क्षमता स्पष्ट दिखायी पड़ रही है। मेरी सरकार राष्ट्रीय ग्रÃ¸ामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के क्षेत्र में विस्तार करेगी जो इस समय अकुशल श्रमप्रधान कार्य तक ही सीमित है। राष्ट्रीय ग्रÃ¸ामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अन्य

कार्यक्रमों के साथ बेहतर रूप से जोडक़र राष्ट्रीय ग्Ã¸ामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की मार्फत भूमि उत्पादकता में सुधार के अवसर को बढ़ाया जाएगा। पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिचित करने के लिए ज़िला स्तर पर स्वतंत्र मॉनीटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय ग्Ã¸ामीण स्वास्थ्य मिशन ने ग्Ã¸ामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण शुरू कर दिया है। अगले पाँच वर्षों में शिशु-मृत्युदर और मातृ-मृत्युदर में स्पष्ट कमी लाने के लिए इस मिशन को और मज़बूत किया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम की मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के टीका बनाने वाले संस्थानों का पुनरुद्धार किया जाएगा। मेरी सरकार अगले पाँच वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी। कुपोषण स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए पोषाहार वितरण कार्यक्रम को पंचायत संस्थाओं की निगरानी के अंतर्गत लाने के लिए और आंगनवाडिय़ा ंो में ताजा पके हुए खाने की व्यवस्था अपनाने के लिए उसमें व्यापक रूप से सुधार किया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान ने प्रारंभिक स्कूलों तक बच्चों की पहुँच को सुलभ बनाया है और सर्वव्यापी मध्याह्Ã¸न भोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप बच्चों की स्कूल छोडऩा ंो की प्रवृत्ति कम हुई है। नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, जो अभी संसद के विचाराधीन है, के अधिनियमन द्वारा स्तरीय शिक्षा को अधिकार बनाने पर मुख्यत: ध्यान दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा सर्वसुलभ होगी । ग्यारहवी योजना के अंतर्गत कायिान्वत की जाने वाली नई संस्थाओं के माध्यम से उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार किया जाएगा जिससे देश शिक्षा की चुनौती का पूर्णरूप से सामना करने में समर्थ हो सकेगा। पिछले पाँच वर्षों में जरूरतमंद और पात्र विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ और शैक्षिक ऋण प्रारम्भ किए गए। इन कार्यों की समीक्षा की जाएगी और इन्हें और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा के लिए सरकार की कार्यनीति विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता के तिहरे लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी। इस कार्यनीति का निरूपण और कार्यान्वयन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार किया जाएगा।

पिछली जनगणना में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 75 से भी अधिक था और अब इसके और बढऩा ंो की आशा है। वर्ष 2001 में महिला साक्षरता का प्रतिशत मात्र 54 ही था। मेरी सरकार अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के रूप में पुनर्गठित करेगी। आशा है कि महिला साक्षरता में वृद्धि से सामाजिक विकास के हमारे सभी कार्यक्रमों में कई गुना बढ़ोत्तरी होगी।

मेरी सरकार ने पाँच वर्ष पूर्व भारत निर्माण को ग्Ã¸ामीण आधारभूत संरचना के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना के रूप में प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम से सडक़ , बिजली और टेलीफोन जैसी मूलभूत अवसंरचना को बहुत से गाँवों में पहुँचाने में सफलता प्राप्त हुइ है। इससे ग्Ã¸ामीण जलापूर्ति, ग्Ã¸ामीण आवास जैसे अधिकतर लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और सिंचाई क्षमता में भी वृद्धि हुई है। शेष कार्यों को भारत निर्माण के दूसरे चरण में पूरा किया जाएगा । दूसरे चरण में भारत निर्माण के लिए और अधिक लक्ष्य तय करना भी प्रस्तावित है।

- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2004-2009 की अवधि में साठ लाख घरों के मूल लक्ष्य से भी अधिक घर बनाए गए। अब अगले पाँच वर्षों में यह ग्Ã¸ामीण आवास लक्ष्य दोगुना हो जाएगा जिसके तहत एक करोड़ बीस लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।
- ग्Ã¸ामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को 2011 तक पूरा कर लिया जाएगा और अगली योजना में इसका प्रबंधन पंचायतों को सौंप दिया जाएगा।
- अगले पाँच वर्षों में ग्Ã¸ामीण दूरसंचार का लक्ष्य ग्Ã¸ामीण दूरसंचार घनत्व को 40 प्रतिशत तक पहुँचाने का रहेगा और तीन वर्षों में प्रत्येक पंचायत को एक ब्Ã¸ाÃ¬डबैंड नेटवर्क से जोडऩा ंो के लिए ब्Ã¸ाÃ¬डबैंड कवरेज को बढ़ाया जाएगा। सामान्य सेवा केंद्रों अथवा ई-कियोस्कों की योजना को समुचित रूप से पुन: अवस्थित किया जाएगा ताकि वे ग्Ã¸ामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सरकारी सेवाएं मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तरीय भारत निर्माण सामान्य सेवा केन्द्रों का नेटवर्क बन सकें ।
- ग्Ã¸ामीण विद्युतीकरण, सिंचाई और गाँवों को सड़कों के माध्यम से जोडऩा ंो के लिए नए लक्ष्य तय किए जाएंगे।

पिछले चार वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजनाओं के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हमारे शहरों का रूप बदल रहा है और इसका व्यापक स्वागत हुआ है। सरकार अवसंरचना, मूलभूत सेवाओं और शासन व्यवस्था में सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान देती रहेगी और सार्वजनिक परिवहन को उन्नत बनाने के लिए शहरों को अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। शहरी गरीबों के लिए 15 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है । शहरी आवास कार्यक्रमों को स्लम-बस्तियों में रह रहे गरीबों पर केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है । मेरी सरकार का प्रस्ताव, ग्Ã¸ामीण गरीबों हेतु इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर स्लम-बस्तियों के निवासियों और शहरी गरीबों हेतु राजीव आवास योजना प्रारंभ करने का है । भागीदारी की मार्फत किफायती आवास की योजनाओं और

शहरी आवास के लिए ब्याज-सब्सिडी की योजना को राजीव आवास योजना में मिला दिया जाएगा जिससे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उन राज्यों को सहायता दी जाएगी जो स्लम-बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति के अधिकार सौंपने के इच्छुक हैं । मेरी सरकार का प्रयास होगा कि राजीव आवास योजना द्वारा पांच वर्षों में भारत को स्लम-रहित कर दिया जाए।

मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव करती है जो एक ऐसे ढ़ांचे के लिए सांविधिक आधार मुहैया कराएगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। ग्रÃ¸ामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार 3 रुपए प्रति किलोग्रÃ¸ाम की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्रÃ¸ाम चावल अथवा गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा । इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा ।

सरकार महिलाओं, युवाओं, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और बुजुर्गों को और अधिक अवसर मुहैया कराने तथा विशेष रूप से दुर्बल वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करने की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग है। महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने वाले कुछ ठोस प्रस्तावित कदम हैं सभी स्तरों पर निर्वाचित निकायों में आरक्षण, नौकिरयों में आरक्षण और एक राष्ट्र'ाळय महिला साक्षरता मिशन ।

हमारी 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है और उनकी सृजनात्मक ऊर्जा हमारा सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन है । उनकी शिक्षा, रोजगार क्षमता और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में निवेश करना एक चुनौती है । यदि भारत अपने युवाओं के कौशल विकास में निवेश करता है तो इसकी क्षमता समूचे वैश्विक कार्य-बल के एक-चौथाई के बराबर होगी। रोजगारपरक कौशल मुहैया कराने वाली शिक्षा अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करने की कुंजी है । मेरी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इस दिशा में कानूनी परिवर्तन किए हैं और इस क्षेत्र में निवेश किया है। इन प्रयासों को और सुदृढ़ किया जाएगा। शिक्षा में भारी निवेश करने के अलावा सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास की पहल पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिसके अंतर्गत 2022 तक पचास करोड़ कुशल लोग तैयार करने के अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ कार्य शुरू हो गया है ताकि हमें अपनी इस कौशलयुक्त आबादी का लाभ प्राप्त हो सके ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के कार्यान्वयन की देखभाल यह सुनिशिचित करने के लिए की जाएगी कि 2009 के अंत तक सभी हक विलेख वितरित कर दिए जाएं।

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण को उच्चतम प्राथमिकता देना जारी रखेगी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम और सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई कुछ सीमा तक सरकारी संसाधनों, नौकिरयों और योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए न्यायोचित हिस्सा सुनिचित करने में सफल रही है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों को और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार वव्Ã•Dफों के प्रशासन को सुदृढ़ करने और आधुनिक बनाने के लिए प्रयास करेगी, हज संचालन के प्रबंधन में सुधार लाएगी और एक समान अवसर आयोग स्थापित करेगी।

किसानों और कृषि पर निर्भर अन्य व्यक्तियों की अनुचित विस्थापन से रक्षा के लिए तैयार और संसद में प्रस्तुत किए गए भूमि अधिग्रÃ¸हण अधिनियम में संशोधन विधेयक और पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास विधेयक पारित नही हो सके थे। हमारा प्रयास होगा कि ये विधेयक संसद के बजट सत्र में पुन: प्रस्तुत और अधिनियमित कर दिए जाएं।

मेरी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे और 65 वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, सभी विकलांगों और चालीस वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाओं को पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि की है। सरकार विशेष जोखिम के दायरे में आने वाले अन्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर विचार करेगी। भूमिहीन मज़दूरों, बुनकरों, मछुआरों, ताड़ी निकालने वालों, चर्मकारों, बागान श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, खान श्रमिकों और बीड़ी मजदूरों जैसे अन्य व्यवसायों को भी समुचित रूप से सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के दायरे में लाया जाएगा।

सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने हेतु शासन में सुधार करना मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें इस प्रयास में मार्गदर्शी होंगी । मेरी सरकार इन मुद्दों पर भी प्रमुखता से ध्यान देगी जैसे सरकार के उच्चतर स्तरों की संरचनाओं में सुधार, अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण, शासन में महिलाओं और युवाओं को शामिल करना, प्रक्रिया सुधार और जनता के प्रति ज़वाबदेही आदि। प्रक्रिया सुधार के भाग के रूप में, मंत्रिमंडल को भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों में यह उल्लेख किया जाएगा कि विचारार्थ प्रस्तावों से समता अथवा समावेश, नवाचार तथा जनता के प्रति जवाबदेही के लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार होगी।

32. मेरी सरकार अगले 100 दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी :

- राज्य विधानमंडलों तथा संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्रÃ¸ पारित कराना;
- पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन। महिला को वर्ग, जाति तथा महिला होने के कारण अनेक अवसरों से वंचित रहना पड़ता है इसलिए पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण को बढ़ाने से और अधिक महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगी;
- केन्द्र सरकार की नौकिरयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास;
- बेहतर समन्वय हासिल करने के लिए महिला-केंद्रित कार्यक्रमों को मिशन के रूप में लागू करने हेतु महिला सशक्तीकरण पर एक राष्ट्रीय मिशन;
- एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय युवा कोर जो नदी सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के दायरे में रचनात्मक सामाजिक कार्य कर सके और जिसकी शुरुआत गंगा नदी से हो;
- विकेंद्रीकृत नियोजन तथा पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास पर फोकस करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जो अन्य विकास निवेश से भी संबद्ध है, का पुनर्गठन करना। आगामी तीन वर्षों में पंचायती राज कार्यकत्र्ताओं को प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा;

- असामरिक क्षेत्रों से संबंधित सभी सूचना को जनता के दायरे में लाने के लिए एक सार्वजनिक डाटा नीति तैयार करना। इससे नागरिकों को डाटा पर प्रश्न पूछने और शासन सुधार में प्रत्यक्ष भागीदारी करने में मदद मिलेगी;

- राष्ट्रीय ग्Ã¸ामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिचित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा लागू करना और शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति करना;
- सरकार द्वारा सभी असामरिक क्षेत्रों में सूचना देने की व्यवस्था करने के लिए विधि में समुचित संशोधन करके सूचना के अधिकार को और सुदृढ़ करना;
- प्रमुख कार्यक्रमों में जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए योजना आयोग द्वारा सप्रेरित एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना। यह कार्यालय प्रमुख सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठनों के सहयोग से एक नेटवर्क मॉडल के रूप में कार्य करेगा, साथ ही प्रमुख कार्यक्रमों की उपलब्धि का मूल्यांकन करके उन्हें जनता के समक्ष लाएगा;
- सरकार में नियमित आधार पर कार्य-निष्पादन देखभाल तथा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए तंत्र स्थापित करना;
- सरकार एक राष्ट्रीय चर्चा प्रारंभ करने के उद्देश्य से "जनता को रिपोर्ट " शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण तथा अवसरंचना पर पाँच वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;
- नगर विकास गतिविधियों को सहयोग देने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से सभी शहरी क्षेत्रों में व्यवसायियों की एक स्वैच्छिक तकनीकी कोर का गठन करना;
- विकास कार्यों में संलÃ½न सरकारी सहायता के इच्छुक गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकारी पोर्टल पर वेब-आधारित सुविधा प्रदान करना जिससे आवेदन की स्थिति पारदर्शी रूप से मानीटर की जा सके;
- डाकघरों तथा बैंकों में खातों के माध्यम से छात्रवृत्तियों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करना और चरणबद्ध रूप से इनका स्मार्ट कार्डों में अंतरण करना;
- वित्तीय समावेश के लिए संपर्क इकाइयों के रूप में कार्य हेतु बैंकों तथा डाकघरों में व्यापक सुधार करना जिसमें प्रौद्योगिकी संपन्न बिजनेस कोरसपोन्डेंट भी शामिल हैं;
- अगले तीन वर्षों में सभी पंचायतों में भारत निर्माण सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से इलैव्Ã•Dट्रॉनिक शासन व्यवस्था;
- राज्यों के साथ परामर्श करके एक मॉडल जन सेवा कानून तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य ग्Ã¸ामीण विकास इत्र्यादि जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया जाएगा जो अपने कर्त्तव्यों के प्रति जवाबदेह होंगे;
- वर्तमान विनियामक ढांचे में सुधार करने तथा कुशल कार्मिकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक सर्वोच्च विनियामक

निकाय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद का गठन;

- यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विनियामक संस्थाओं में सुधार;
- 11वीं योजना में प्रस्तावित 14 विश्वविद्यालयों को नवाचार विश्वविद्यालयय़ के रूप में स्थापित करने हेतु विश्व भर की प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के लिए प्रतिभा-लब्धि (ब्रÃ¸ेन गेन)नीति का विकास;
- न्यायिक सुधार की रूपरेखा छह महीने में तैयार की जाएगी जिसे समयबद्ध रूप से कायिाऩन्वत किया जाएगा;
- बहु-प्रयोजन गरीबी रेखा से नीचे की सूची (बीपीएल) के स्थान पर लक्षित पहचान पत्र को लागू किया जाना। राष्ट्रीय ग्रÃ¸ामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक जॉब कार्ड उपलब्ध है तथा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी एक नया कार्ड उपलब्ध होगा। वर्तमान में बहुप्रयोजन बीपीएल सूची का प्रयोग करने वाले अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान से कार्यक्रम के उद्देश्यों पर आधारित पहचान में सुधार होगा। यह पहचान इस साझे आधारभप्त सिद्धांत पर आधारित होगी कि सभी लाभार्थियों की पहचान ग्रÃ¸ाम सभाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जानी है और इस सूची को जनता के सामने लाया जाएगा, ताकि यदि आवश्यक हो, तो आपत्ति दर्ज की जा सके;
- प्रमुख कार्यक्रमों तथा विशेष परियोजनाओं को मानीटर करने के लिए तथा सार्वजनिक रूप से उनकी स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कार्य निष्पादन मानीटरिंग यूनिट का गठन;
- 'भारत निर्माण त्रैमासिक रिपोर्ट के रूप में प्रमुख कार्यक्रमों पर समुचित रूप से संस्थागत त्रैमासिक रिपोर्टिंग जिसमें मंत्री मीडिया के माध्यम से प्रगति पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट देंगे।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में अवसंरचना मूलभूत कारक है और अगले पाँच वर्षों में अवसंरचना विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाएगा। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नीतियों तथा प्रक्रियाओं के कारण अवसंरचना परियोजनाओं, विशेषकर रेल, विद्युत, राजमार्गों, पत्तनों, विमानपत्तनों तथा ग्रÃ¸ामीण दूरसंचार के कार्यान्वयन में आने वाले व्यवधानों और उनमें होने वाली देरी को व्यवस्थित रूप से दूर किया जाएगा। सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाएँ इस कार्यनीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाएँ, जो इस समय सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें शीघ्रÃ¸तापूर्वक स्वीकृति दी जाएगी। सरकारी-निजी भागीदारी के विनियामक तथा विधिक ढांचे को और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। मेरी सरकार उत्तर-पूर्व और जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना विकास तथा इन क्षेत्रों के साथ और अधिक संपर्क स्थापित करने पर विशेष बल देती रहेगी।

हमारे साथी नागरिकों को यह पूरा हक है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरधारक बन सकें, और सरकार मेजॉरिटी शेयरधारक और नियंत्रक बनी रहे। मेरी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लिस्टिंग करने तथा इनमें जनता के स्वामित्व के लिए एक रूपरेखा विकिसत करेगी। साथ ही यह भी सुनिचित करेगी कि सरकार की इव्Ã•िDवटी 51 प्रतिशत से कम न हो जाए।

मेरी सरकार विशेष तौर से आवश्यक कृषि तथा औद्योगिक उत्प्रादों की कीमतों के संबंध में उच्च विकास के साथ-साथ निम्न मुद्रा स्फीति बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व का दृढ़ता से निर्वहन करेगी जिससे आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक अवसरंचना में निवेश करने के लिए केंद्र का सामर्थ्य लगातार बढ़ता रहे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सभी आर्थिक सहायता हमारे समाज के वास्तविक जरूरतमंदों तथा गरीब तबकों को ही पहुँचे। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाई जाएगी और आवश्यक नीतिगत परिवर्तन किए जाएंगे।

मेरी सरकार बेहतर तथा सरलीकृत कर-प्रशासन के कारण प्रत्यक्ष करों की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण वृद्धि कर पाई है और यह प्रक्रिया ज़ारी रहेगी। माल तथा सेवा-कर की ओर अग्रÃ¸सर होने के लिए इसकी रूपरेखा पर तेजी से कार्य किया जाएगा। मेरी सरकार, भारतीय नागरिकों के देश के बाहर गुप्त बैंक खातों के अवैध धन के मुद्दे के प्रति पूरी तरह से सजग है। सरकार संबंधित देशों के साथ समन्वय स्थापित करके सभी आवश्यक कदम तेज़ी से उठाएगी।

एकीकृत ऊर्जा नीति के आधार पर ऊर्जा के लिए समन्वित कार्रवाई की जाएगी। प्रयास यह रहेगा कि विभिन्न स्रोतों- कोयला, जल-विद्युत, नाभिकीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से प्रतिवर्ष कम से कम 13 हज़ार मेगावाट उत्प्रादन क्षमता की वृद्धि की जाए। ग्रÃ¸ाम तथा ग्रÃ¸ामीण परिवार विद्युतीकरण करने तथा समग्रÃ¸ तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसानों में कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। समयबद्ध उपायों द्वारा विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कार्य कुशलता को बढ़ाया जाएगा जिसमें खुली भागीदारी के प्रावधानों को लागू करना भी शामिल है।

तेल तथा गैस अन्वेषण की गति में तेज़ी लाई जाएगी और भारत की तेल संबंधी कूटनीति को पूर्ण उरुसाह से ज़ारी रखा जाएगा। कोयला क्षेत्र में सुधार संबंधी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है, और इस कार्य को तुंत आगे बढ़ाया जाएगा। यद्यपि यूरेनियम के घरेलू स्रोतों का दोहन किया जा रहा है तथा देश में डिजाइन किए गए फास्ट ब्रÃ¸ाळडर तथा थोरियम रिएव्Ã•Dटर पर कार्य चल रहा है तथापि विभिन्न देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सिविल नाभिकीय करार शुरू किए जाएंगे।

मेरी सरकार यह सुनिचित करेगी कि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो एक विशिष्ट पहचान प्राप्त कर चुका है, दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम पूर्वानुमान में योगदान करने के अतिरिक्त कृषि, दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा में तथा ग्रÃ¸ामीण ज्ञान केंद्रों को सूचना मुहैया कराकर समाज को भरपूर लाभ पहुँचाता रहे। पिछले पाँच वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कई नवाचारी पहलों, जिन पर अब कार्य किया जा रहा है, को और सुदृढ़ किया जाएगा।

मेरी सरकार आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से पर्यावरण परिवर्तन के मामलों पर सक्रिय कार्य कर रही है। इनमें से राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन को इस वर्ष के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, बेसिन राज्यों के साथ सहभागिता करके नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए एक नई कार्य योजना विकिसत करेगा।

मेरी सरकार की विदेश नीति भारत की सामरिक स्वायत्तता और अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बरकरार रखते हुए देश के सुविचारित राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाती रहेगी जो हमारी असली पहचान भी है। भारत को अपने पड़ोसियों की स्थिरता तथा संपन्नता में गहरी रुचि है। इस क्षेत्र में स्थिरता, विकास तथा संपन्नता बढ़ाने के लिए सार्क देशों में हमारे मित्रों के साथ कार्य करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार यह सुनिचित करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करेगी जिससे बकाया मसलों को सुलझाया जा सके तथा इस क्षेत्र की संपूर्ण संभाव्यताओं का इष्टतम लाभ उठाया जा सके।

मेरी सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नया रूप देने का प्रयास करेगी जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने वाले समूहों के विरुद्ध वास्तविक रूप में व्Ã•Dया कार्रवाई करता है। हम श्रीलंका सरकार के उन प्रयासों का समर्थन करेंगे जिनसे वहां के संघर्ष का स्थायी राजनैतिक समाधान हो सके औ्र यह सुनिचित हो सके कि श्रीलंका के सभी समुदाय, विशेषकर तमिल सुरक्षित महसूस करें और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हों जिससे वे गरिमापूर्ण और आत्मसम्मान का जीवन व्यतीत कर सकें । भारत इस संघर्ष से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में समुचित योगदान करेगा। भारत नेपाल और बांÃ½लादेश में जहां बहुदलीय लोकतंत्र वापस आ चुका है, आपसी हितों के लिए दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार को जारी रखने के लिए निकटता से कार्य करेगा । भूटान और मालदीव के साथ भारत अपनी सघन और जीवंत सहभागिता सुदृढ़ करेगा और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग देना जारी रखेगा।

प्रमुख शक्तियों के साथ हमारे संबंधों में सुधार की गति को बनाए रखा जाएगा । संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारी सहभागिता में आए बदलाव को और आगे बढ़ाया जाएगा। विगत वर्षों में रूस के साथ हमारी सामरिक भागीदारी बढ़ी है और हम इसे और सुदृढ़ करेंगे। मेरी सरकार यूरोप के देशों और जापान के साथ उन सतत राजनयिक प्रयासों को जारी रखेगी जिनके फलस्वरूप 2004 से हमारे संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। चीन के साथ बहु-आयामी साझेदारी का विस्तार किया जाएगा।

मेरी सरकार अन्य विकासशील राष्ट्रों के साथ कार्य करना जारी रखेगी। हमारी सरकार शीघ्रÃ¸ातिशीघ्रÃ¸ व्यवहार्य फिलीस्तीन राज्य की स्थापना के जरिए, पश्चिम एशिया में शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देगी। खाड़ी के देशों के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। मेरी सरकार द्वारा आयोजित प्रथम भारत-अफ्रीका शिखर वार्ता से अफ्रीका के साथ चल रहे हमारे संबंधों को मजबूती मिली है, जो और सुदृढ़ होंगे। दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र और साथ-साथ मध्य एशिया और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के देशों के साथ बहुआयामी साझेदारी को सुदृढ़ किया जाएगा।

पूरे विश्व भर में दो करोड़ पचास लाख से अधिक अनुमानित भारतीय बिखराव एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत हैं तथा मेरी सरकार इनके साथ और भी प्रगाढ़ संबंध स्थापित करेगी। इस बिखराव के साथ हमारे संबंध और भाईचारे के कारण ही हम उनकी सलामती के

प्रति पूर्ण सजग और उनके हितों के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, वैश्विक आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और समसामयिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जैसे सांझी चिंताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अन्य देशों के साथ काम करेगा ।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का विश्वास है कि आज हम जिस ज्ञान आधारित समाज में रह रहे हैं, उसमें लोगों और राष्ट्र द्वारा अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सृजनशीलता, नवाचार और उद्यमशीलता प्रमुख आधार हैं। निर्जीव परंपराओं का परिरव्याग अवश्य ही कर दिया जाना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी उन पर बंदिश लगाने वाली धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति और स्त्री-पुरुष के भेद संबंधी संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ रही है। राष्ट्र को उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मेरी सरकार यह सुनिचित करेगी कि शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए उसकी नीतियां नवाचार की भावना से ओत-प्रोत हों ताकि सौ करोड़ से अधिक लोगों की रचनात्मकता उभर कर सामने आए। अगले दस वर्षों को नवाचार के दशक के रूप में समर्पित किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक संकेत हो सकता है परन्तु हमारी बहुत सी चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए अभिनव होने की आवश्यकता जताने वाला यह एक महत्त्वपूर्ण संकेत है। भारत की युवा पीढ़ी स्वभावत: क्रियाशील है और शीघ्रÃ¸ ही परिवर्तन देखना चाहती है। उनके सपनों को साकार करने का दायित्व भी मेरी सरकार पर है। आइए, हम सब मिलकर, अगले पांच वर्षों के प्रत्येक दिन उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

जय हिन्द

*t03 Title: Announcement regarding laying of the notices of amendments to Motion of Thanks on Presidnet's Address.

12.38 Â½ hrs.

MADAM SPEAKER: As the hon. Members have already been informed vide Lok Sabha Bulletin-Part II, dated 1st June, 2009, notices of amendments to the Motion of Thanks on President's

Address can be tabled up to 1700 hours today.

*t04 Title : The Speaker made references to the passing away of Shri Girdhari Lal Bhargava, a member of 9th to 11th Lok Sabha on 12-03-2009; Shri Tulmohan Ram, a member of 3rd to 5th Lok Sabha on 28-03-2009; Shri A.F. Golam Osmani, a member of 12th to 14th Lok Sabha on 31-03-2009; Shri Sri Shankar Tiwari, a member of 5th Lok Sabha on 09-04-2009; Shri Virendra Verma, a member of 12th Lok Sabha on 02-05-2009 and Shri Homi E. Daji, a member of 3rd Lok Sabha on 14-05-2009, respectively.

12.39 hrs

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of seven of our former colleagues, Shri Girdhari Lai Bhargava, Shri Guman Mal Lodha, Shri Tulmohan Ram, Shri A.F. Golam Osmani, Shri Sri Shanker Tewari, Shri Virendra Verma and Shri Homi F. Daji.

Shri Girdhari Lai Bhargava was a Member of the Ninth to Fourteenth Lok Sabhas from 1989 to 2009 representing Jaipur Parliamentary Constituency of Rajasthan.[R1]

Earlier, Shri Bhargava was a member of the Rajasthan Vidhan Sabha for three terms from 1972 to 1989.

During his long and illustrious tenure spanning over a period of two decades, Shri Bhargava served as the Chairman of the House Committee and also as a member of various parliamentary committees.

An active social and political worker, Shri Bhargava was the Chairman of the Municipal Committee, Jaipur and was also the Chairman of the Urban Improvement Trust, Jaipur from 1978 to 1980. He was the Deputy Chairman, Pollution Control Board of Rajasthan; President, Rajasthan Library Association, Jaipur; Founder, Bharatiya College, Jaipur and Patron, Cloth Merchants Association, Jaipur. He was also Member, Prisoners Advisory Committee, Jaipur; Telephone Advisory Committee, Jaipur and the Municipal Council, Jaipur for four terms. Shri Bhargava was also associated with a number of organizations working for the welfare of the common man in Jaipur.

Shri Bhargava followed the best parliamentary traditions in letter and spirit and actively participated in the proceedings of the House. His genial demeanour endeared him to all those who came in his contact.

Shri Girdhari Lai Bhargava passed away on 8 March, 2009 at Ahmedabad at the age of 73.

Shri Guman Mal Lodha was a member of the Ninth to Eleventh Lok Sabhas from 1989 to 1997 representing Pali Parliamentary Constituency of Rajasthan.

Earlier, Shri Lodha was a member of the Rajasthan Vidhan Sabha from 1972 to 1977. During this period he was Chairman, Committee on Petitions and the Committee on Delegated Legislation of the Rajasthan Vidhan Sabha.

An able Parliamentarian, he was Chairman, Committee on Subordinate Legislation and a member of the General Purposes Committee during the Ninth Lok Sabha. He was a member of the Committee on Subordinate Legislation during the Tenth Lok Sabha and a member of the Committee on Science & Technology and Environment & Forests during the Eleventh Lok Sabha.

A freedom fighter and a distinguished legal luminary, Shri Lodha had a long and illustrious career spanning over four decades. He served as a Judge of the Rajasthan High Court from 1978 to 1988. He also served as the Chief Justice of the Guwahati High Court in 1988. As a Judge, he introduced reforms in the judiciary for the benefit of the litigants and ordinary public. Earlier, he was President, Rajasthan High Court Advocates' Association and a Member of the Bar Council of Rajasthan. His outstanding contribution to the cause of legal system in the country will be remembered for long.

A multifaceted personality Shri Lodha was also an accomplished author. He contributed several articles for leading Hindi dailies on a plethora of subjects. He has to his credit several books in Hindi and English.

Shri Guman Mal Lodha passed away on the 12 March, 2009 at Ahmedabad at the age of 82.

Shri Tulmohan Ram was a member of the Third, Fourth and the Fifth Lok Sabhas from 1962 to 1977, representing the Sonbarsa Parliamentary Constituency of Bihar during the Third Lok Sabha and the Araria Parliamentary Constituency of Bihar during the Fourth and Fifth Lok Sabhas.

Earlier, Shri Tulmohan Ram was a member of the Bihar Vidhan Sabha from 1957 to 1962.

An able parliamentarian Shri Tulmohan Ram was a member of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the Fifth Lok Sabha.

An agriculturalist by profession, Shri Tulmohan Ram played a prominent role in freedom struggle and was imprisoned on a number of occasions. He was Secretary of the Saharsa Zila Kisan Sabha; Bihar State Kisan Sabha and also served as the President of the District Depressed Classes[U2] League, Saharsa. He worked untiringly for the removal of untouchability and other social disparities in the society.

A well-known social worker, Shri Tulmohan Ram was associated with *Pustakalaya* Movement. He also took special interest in the cooperative movement and panchayat system.

Shri Tulmohan Ram passed away on 28 March, 2009 at New Delhi at the age of 80.

Shri A.F. Golam Osmani was a Member of the Twelfth to Fourteenth Lok Sabhas from 1998 to 2009 representing Barpeta parliamentary constituency of Assam.

Earlier, Shri Osmani was a Member of the Assam Legislative Assembly from 1978 to 1982. He also served as a Cabinet Minister in the Government of Assam.

Shri Osmani was a Member of the Committee on Estimates and the Committee on Home Affairs during the Twelfth Lok Sabha. He was a Member of the Committee on Commerce and Committee on Papers Laid on the Table during the Thirteenth Lok Sabha. He also served as a Member of the Committee on Members of Parliament Local Area Development Scheme; Committee on Rural Development and the Committee on Human Resource Development during the Fourteenth Lok Sabha.

An advocate by profession, Shri Osmani was the Secretary of the Silchar Bar Association in 1976. He was the Editor of *Borak* a weekly periodical published from Silchar and Guwahati. Shri Osmani was also the Secretary, Tagore Society for Cultural Integration, Silchar. Shri Osmani was also associated with several NGOs working for the welfare of the common man.

Shri A.F. Golam Osmani passed away on 31 March, 2009 at New Delhi at the age of 76.

Shri Sri Shanker Tewari was a Member of the Fifth Lok Sabha from 1971 to 1977 representing the Etawah parliamentary constituency of Uttar Pradesh.

An advocate by profession, Shri Tewari was a Member of the Disciplinary Committee of Uttar Pradesh Bar Council. He also served as the Convener of Uttar Pradesh Bar Council Law Journal and as the Secretary of Uttar Pradesh High Court Bar Association.

A well-known social worker, Shri Tewari strove for the welfare of the deprived and backward sections of the society.

A sports enthusiast, Shri Tewari was the Secretary, Gymkhana Club, Allahabad in 1970.

Shri Sri Shanker Tewari passed away on 9 April, 2009 at Allahabad, Uttar Pradesh at the age of 85.

Shri Virendra Verma was a Member of the Twelfth Lok Sabha from 1998 to 1999, representing the Kairana parliamentary constituency of Uttar Pradesh.

Earlier, Shri Verma was a Member of the Rajya Sabha from 1984 to 1990. As a Member of the Upper House, he served on several Parliamentary Committees. Shri Virendra Verma was also a Member of the Uttar Pradesh Vidhan Sabha from 1952 to 1962 and from 1967 to 1977. Shri Verma served as Deputy Minister for Cooperation from 1959 to 1960; Cabinet Minister for Irrigation, Power, Industries, Labour, Education and Technical Education and Home from 1970 to 1971 and Cabinet Minister for Agriculture from 1975 to 1977 in the Government of Uttar Pradesh.

Shri Virendra Verma was a Member of the Committee on Agriculture during the Twelfth Lok Sabha.[a3][a4]

Shri Verma served as the Governor of Punjab and Administrator of the Union Territory of Chandigarh during 1990 and later as the Governor of Himachal Pradesh from 1990 to 1993.

An agriculturist by profession, Shri Verma was the Vice-President, Uttar Pradesh Sugarcane Cooperative Union Federation from 1949 to 1955. He also served as the Chairman of the Indian Sugarcane Development Council from 1967 to 1975. He headed the Uttar Pradesh Sugar Mills Nationalisation Committee in 1970. Shri Verma was also a Member of the Indian Central Sugarcane Committee and the Uttar Pradesh and Bihar Sugarcane Board.

His untiring efforts to uplift the farmers, particularly those cultivating sugarcane brought western Uttar Pradesh in the forefront of sugar production in the country. In his demise, the country has lost a champion of the cause of farmers and downtrodden.

Shri Virendra Verma passed away on 2 May, 2009 at Muzaffarnagar, Uttar Pradesh at the age of 93.

Shri Homi F. Daji was a Member of the Third Lok Sabha from 1962 to 1967 representing the Indore Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh.

An able parliamentarian, Shri Daji was a Member of the Committee on Public Undertakings and the Committee on Subordinate Legislation during the Third Lok Sabha.

Shri Daji was also a Member of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha for two terms from 1957 to 1962 and later from 1972 to 1977.

An advocate by profession, Shri Daji started his political career at the grass-root level. Shri Daji was actively associated with the Indian Trade Union Movement. He was the Regional Secretary of the All India Trade Union (AITU) from 1993 till his demise. Shri Daji also served as a Member of the Vikram University Senate.

Shri Homi F. Daji passed away on 14 May, 2009 at Indore, Madhya Pradesh at the age of 83.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved families.

Hon. Members, as you are aware, cyclone 'AILA' which struck the State of West Bengal and Bangladesh on 25th May, 2009, caused heavy rains resulting in loss of lives; destruction of property and has rendered a large number of persons homeless.

Hon. Members, in another disaster, an Air France plane with 228 persons of various nationalities on board crashed into the Atlantic Ocean during a flight from Rio de Janeiro to Paris. The crash which was reportedly brought about by stormy weather has resulted in one of the deadliest air disasters of recent times.

The House expresses its profound sorrow on these tragedies which have brought pain and suffering to the families of the bereaved and injured.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

12.53 hrs.

The members then stood in silence for a short while

*t05 Title: Papers laid on the Table by Members/Ministers.

12.55 hrs.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): On behalf of Shri P. Chidambaram, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:-

(1) A copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated 19th March, 2009 issued by the President under clause (1) of article 356 of the Constitution in relation to the State of Meghalaya published in

Notification No. G.S.R. 178 (E) in Gazette of India dated the 19th March, 2009 under article 356 (3) of the Constitution.

(Placed in Library, See No. LT. 3/15/2009)

(2) A copy of the Order (Hindi and English versions) dated 19th March, 2009 made by the President in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation published in Notification No. G.S.R. 179 (E) in Gazette of India dated the 19th March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT. 4/15/2009)

(3) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Governor of Meghalaya dated the 17th March, 2009 to the President.

(Placed in Library, See No. LT. 5/15/2009)

(4) A copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated 13th May, 2009 issued by the President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the earlier Proclamation issued by her on 19th March, 2009 in relation to the State of Meghalaya published in Notification No. G.S.R. 318 (E) in Gazette of India dated 13th May, 2009 under article 356 (3) of the Constitution.

(Placed in Library, See No. LT. 6/15/2009)

*m02

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123 (2) (a) of the Constitution:-

(1) The Meghalaya Appropriation (Vote on Account) Ordinance, 2009 (No. 4 of 2009) promulgated by the President on the 19th March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT. 7/15/2009)

(2) The Meghalaya Appropriation Ordinance, 2009 (No. 5 of 2009) promulgated by the President on the 19th March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT. 8/15/2009)

*t06 Title: Bills passed by the Houses of Parliament during the 15th session of the 14th Lok Sabha and assented to by the President.

12.55 Â½ hrs.

SECRETARY-GENERAL: I beg to lay on the Table the following 13 Bills passed by the Houses of Parliament during the Fifteenth Session of Fourteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th February, 2009:-

1. The Appropriation (Railways) Bill, 2009;

2. The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 2009;

3. The Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2009;

4. The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009;

5. The Appropriation Bill, 2009;

6. The Jharkhand Appropriation (Vote on Account) Bill, 2009;

7. The Jharkhand Appropriation Bill, 2009;

8. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Bill, 2009;

9. The Prevention of Money-Laundering (Amendment) Bill, 2009;

10. The Central Industrial Security Force (Amendment) Bill, 2009;

11. The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2009;

12. The Finance Bill, 2009; and

13. The Carriage by Air (Amendment) Bill, 2009.

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha, of the following 3 Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

1. The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2009;

2. The Central Universities Bill, 2009; and

3. The Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Bill, 2009.

(Placed in Library, See No. L.T −9/15/2009)

MADAM SPEAKER : The House now stands adjourned to meet tomorrow June 5, 2009 at 11.00 A.M.

12.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on[r5] *Friday, June 5, 2009/Jyaistha 15, 1931 (Saka).*

[R1]cd. by b

Cd, by c [U2]

[a3]cd. by d1.e

cd. by d1.e [a4]

[r5] Friday, March 10, 2000/Phalguna 20, 1921 (Saka).